संख्या– 838

21–7–2010

कार्यपालक अभियंता को आर्थिक दण्ड

पटना, 21 जुलाई :: राज्य सूचना आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार सूचना आयुक्त श्री पी0 एन0 नारायणन ने लोक सूचना पदाधिकारी सह कार्यपालक पदाधिकारी, छपरा नगरपालिका पर आर्थिक दण्ड लगाने का निर्णय लिया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार सूचना आयुक्त ने आवेदक श्री सुरेश कुमार को गलत सूचना देने के एवज में 7.5.09 के प्रभाव से 8.7.10 तक के लिए 25000 रू0 का आर्थिक दण्ड निर्धारित किया है। साथ ही 15.10.10 तक आवेदक द्वारा माँगी गयी सही सूचना को उन्हें सुलभ कराने का निदेश दिया है। आर्थिक दण्ड की राशि की कटौती हेतु जिला अधिकारी, सारण को निदेश दिया गया है कि वे पाँच बराबर किस्तों में पी0 आई0 ओ0 के वेतन से कटौती कर आयोग को सूचित करें।

ज्ञातव्य है कि इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 2.11.10 की तिथि निर्धारित की गयी है।

––––